International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 02, April - June, 2019, pp.169-174

केन्द्रीय बैंक एवं सरकार

CENTRAL BANK & GOVERNMENT

रेणु बाला शर्मा*

lkj

देश की मौद्रिक एवं बैकिंग प्रणाली तथा वित्तीय एवं साख अवस्थापना की शीर्ष सस्था केन्द्रीय बैंक होता है। केन्द्रीय बैंक देश के अर्थतन्त्र को सुचारू रूप से चलाने, उसे वांछिक दिशा देने एवं राजकोषीय नीति को कुशल निर्देशन देने एवं संचालन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अतएव केन्द्रीय बैंक पर सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण अनिवार्य है। द्वितीय विश्वयुद्व के पश्चात् जब आर्थिक विकास एवं स्थिरता के लिए केन्द्रीय बैंकिग नीतियों का प्रयोग बढ़ा तो इसके साथ–साथ यह विचार धारा भी प्रबल होती गई कि केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में ही स्थापित किया जाना चाहिए। देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक एवं साख–नीति के मध्य सांमजस्य हो और यह तभी सम्भव होगा जब केन्द्रीय बैंक सरकारी स्थामित्व में स्थापित किया जावे। मुद्रा, साख, सार्वजनिक ऋण आदि समस्याओं का समाधान सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ही उचित प्रकार से कर सकते है। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से सुविधानुसार व्यवहार एवं सम्पर्क तभी उचित ढंग से हो सकता है, जबकि केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में हो।

e[; 'kCn% केन्द्रीय बैंकअर्थतंत्र, सामंजस्य, राजकोषीय नीति, मोदिक नीति, राष्ट्रीयकरण, पूंजी, अंशधारी।

ifjp;

देश की मौद्रिक एवं बैकिंग प्रणाली तथा वित्तीय एवं साख अवस्थापना की शीर्ष सस्था केन्द्रीय बैंक होता है। केन्द्रीय बैंक देश के अर्थतन्त्र को सुचारू रूप से चलाने, उसे वांछिक दिशा देने एवं राजकोषीय नीति को कुशल निर्देशन देने एवं संचालन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अतएव केन्द्रीय बैंक पर सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में दो विचार नहीं हो सकते, किन्तु प्रश्न यह है कि सरकार एवं केन्द्रीय बैंक में वास्तविक सम्बन्ध क्या होना चाहिए। बैंक ऑफ इंगलैंड के भूतपूर्व गवर्नर मौन्टेग नोरमन ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, ''राज्य एवं केन्द्रीय बैंक का सर्वाधिक उचित सम्बन्ध वही है जिसमें राज्य एवं बैंक दोनों की नीति में उचित सामंजस्य हो।''

केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व और सरकार

प्रारम्भिक काल में जितने भी केन्द्रीय बैंक स्थापित हुए उनमें सरकार का सम्बन्ध एक दर्शक की भांति होता था क्योंकि उनमें अधिकांश केन्द्रीय बैंक निजी क्षेत्र में स्थापित हुए अर्थात निजी अंशधारियों के बैंक के रूप में स्थापित किए गये क्योंकि उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि निजी–क्षेत्र के केन्द्रीय बैंकों को

* व्याख्याता, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, एस.एस.जैन सुबोध गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, सांगानेर,जयपुर, राजस्थान।

अच्छा समझा जाता था। इस प्रकार, केन्द्रीय बैंक, सरकारो से स्वतंत्र रहे है और रहने चाहिए। विश्व का प्राचीनतम केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंगलैंड भी निजी–अंशधारियों का बैंक था। इसी प्रकार फ्रांस, हालैण्ड, नार्वे, हंगरी, रूमानिया, अर्जेन्टाइना, भारत, इण्डोनेशिया आदि के बैंक भी निजी–क्षेत्र में ही स्थापित किए गये थे, यद्यपि बाद में इनका राष्ट्रीयकरण करके इनको सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया। पहले केन्द्रीय बैंको को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करना अनेक कारणों से अच्छा नहीं समझा जाता था–

- यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में होता है तो केन्द्रीय बैंकिग नीतियों पर देश की राजनीति का प्रभाव पडेगा। देश के राजनीतिज्ञों का केन्द्रीय–बैकिंग नीतियों में हस्पक्षेप होने लगता है जो कि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव डाल सकती है। केन्द्रीय–बैंक के राजनीतिज्ञों की कठपुतली–मात्र बन जाने की सम्भावना रहती है।
- ऐसी मान्यता है कि अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे नहीं होते। इसका कारण यह है कि बैकिंग एक कला एवं विज्ञान है अतः इसका सफल संचालन विशेषज्ञ ही कर सकते है। यदि केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में होगा तो इसकी प्रबन्ध–व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के हाथों में जा सकती है जो कि बैकिंग के विशेषज्ञ नहीं हो और इसके परिणामस्वरूप बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में अकुशलता आ जाने की पूरी सम्भावना है।
- सरकारी स्वामित्व वाला केन्द्रीय बैंक एक सरकारी कार्यालय से अधिक नहीं रह जाता है जिसमें लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है जिसके परिणाम हानिकारक हो सकते है।
- सरकारी स्वामित्व वाला केन्द्रीय बैंक व्यापारियों, उधोगपतियों एवं वित्त विशेषज्ञों से बहुत निकट का सम्पर्क नहीं रख सकता है अतः केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के स्नायुमण्डल के निकट सम्पर्क में आने से वंचित रह जाता है।
- सरकारी स्वामित्व वाला केन्द्रीय बैंक सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा प्रसार जैसे वित्त प्राप्ति के सस्ते तरीकों को, सरकारी प्रभाव के कारण अपनाने में नहीं हिचकिचाता है।

वर्तमान में निजी क्षेत्र के केन्द्रीय बैंक अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका,इटली, स्विट्जरलैण्ड, स्पैन, पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्त्र, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, पेरू आदि देशों के केन्द्रीय बैंकों के स्वामित्व पर सरकार का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। जिन देशों में केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में कार्य कर रहे है उनका व्यावहारिक अनुभव यह सिद्व करता है कि निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय बैंक की अपेक्षा, सरकारी स्वामित्व के केन्द्रीय बैंक अपने उत्तरदायित्वो कों अधिक प्रभावी ढ़ग से पुरा कर रहे है।

वर्तमान परिस्थितियों में, केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में हो अथवा निजी स्वामित्व में यह प्रश्न केवल बौद्विक तर्क वितर्क का है। **प्रो. सेयर्स** का मत है,'' केन्द्रीय बैंक, सरकार का एक अंग है और इसको सरकार के आधीन रहना चाहिए।'' केन्द्रीय बैंक को सरकार का एक अंग इसलिए कहा गया है कि यह सरकार की प्रमुख वित्तीय क्रियाओं का संचालन करता हैं। ये क्रियाएं राष्ट्र में मौद्रिक स्थायित्व और आर्थिक विकास की नीति को सहयोग प्रदान करती है। एक केन्द्रीय बैंक सही अर्थों में सरकार से स्वतन्त्र नहीं रह सकता है। केन्द्रीय बैंकिंग के प्रारम्भिक विकास के आरंभिक काल में केन्द्रीय बैंक की सरकार से स्वतन्त्रता की विचारधारा को अत्यन्त महत्व दिया था, लेकिन बीसवीं शताब्दी के मध्य से इस विचारधारा में परिवर्तन हो गया है। वर्तमान समय में अनेक देशों के केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में है।उदाहरण के लिए इंगलैण्ड,फ्रांस, सोवियत रूस, नार्वे, स्वीडन, नीदरलैण्ड, आस्ट्रैलिया, न्यूजीलैण्ड, अर्जेन्टाइना, भारत, कनाडा, बल्गेरिया, चीन, ईरान, आयरलैण्ड, पोलैण्ड, थाईलैण्ड आदि अनेक देशों के केन्द्रीय बैंक सरकार स्वामित्व में है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंकों पर सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियन्त्रण की विचारधारा प्रबल हो गई है। कनाडा का केन्द्रीय बैंक सन् 1934 में निजी क्षेत्र में स्थापित हुआ, किन्तु सन्

1936 में सरकार के अधिनियम के द्वारा इस बैंक की अंश पूंजी दुगुनी से अधिक कर दी गई और सरकार ने वित्त मन्त्री को निर्देश दिया कि वह सरकार के लिए इस अतिरिक्त अंश पूंजी को क्रय करने की व्यवस्था करें ताकि सरकार इस बैंक पर नियंत्रण कर सके। सन् 1938 में निजी अंशधारियों से तमाम अंश सरकार ने ले लिये और इस प्रकार बैंक ऑफ कनाडा पर सरकार का पूरा नियन्त्रण हो गया।

सन् 1936 में न्युजीलैण्ड के केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी वर्ष (सन् 1936 में) पैरागुए के एक निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक को केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित कर दिया गया और साथ ही इसे सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया। सन् 1936 में ही बैंक ऑफ इटली तथा कोपेनहेगन(डेनमार्क)के नेशनल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन् 1938 में बैंक ऑफ कनाडा का और सन् 1939 में बैंक ऑफ बोलिविया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन् 1946 मे विश्व के प्राचीनतम केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंगलैण्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

बैंक ऑफ फ्रांस, जो कि एक व्यापारिक बैंक के रूप में प्रारम्भ हुआ था, उसे क्रमशः केन्द्रीय बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सन् 1945 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इस प्रकार इस बैंक पर से निजी स्वामित्व समाप्त हो गया । नार्वे और नीदरलैण्ड के बैंको का राष्ट्रीयकरण सन् 1962 में कर दिया गया। केन्द्रीय बैंक के रूप में बैंक ऑफ जर्मेका की स्थापना सन् 1962 में सरकारी क्षेत्र में की गई। इसी प्रकार बर्मा, श्रीलंका, ईराक, फिलिपाइन्स, इजरायल आदि देशों में स्थापित होने वाले नए केन्द्रीय बैंक सरकार स्वामित्व में ही स्थापित हुए। कुछ देशों ने केन्द्रीय बैकिंग का पूरा राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया, किंन्तु अपना प्रभावशाली नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक की आधी से अधिक पूंजी सरकार ने स्वयं तो प्रदान की है, जैसे जापान, मैक्सिको, पाकिस्तान, क्यूबा, बेल्जियम, वैनेजुएला, आदि। कुछ देश ऐसे भी है जिन्होंने अपने केन्द्रीय बैंक से सम्पर्क रखने हेतु इसकी आधी से भी कम पूंजी खरीदी है। टर्की, कोलम्बिया, चिली आदि देश इसके उदाहरण है।

केन्द्रीय बैंक के लाभ और सरकार से सम्बन्ध

जहां केन्द्रीय बैंक पर सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है, वहां बैंक के लाभ के वितरण के सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी अवस्था में केन्द्रीय बैंक के कुल लाभ में से पूर्व निश्चित दर अथवा राशि से , राशि को रिजर्व कोष में हस्तान्तरित करके शेष लाभ को सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है क्योंकि सरकार ही केन्द्रीय बैंक को एकमात्र अंशधारी अथवा स्वामी होता है।कुछ देशों में, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में लाभ के एक भाग को 'नेशनल डैप्ट (Debt) सिंकिग फण्ड' में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

यदि केन्द्रीय बैंक पर केवल निजी अंशधारियों का अधिकार होता है। अर्थात् केन्द्रीय बैंक की पूंजी में सरकार ने अभिदान नहीं किया है तो इस केन्द्रीय बैंक एक्ट में इस बात का उल्लेख होता है कि रिजर्व आदि में लाभ की राशि हस्तान्तरित करने के पश्चात् निश्चित दर से लाभांश निजी अंशधारियों को दे दिया जावे, लाभ की शेष राशि को केन्द्रीय बैंक एवं सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित अनुपात में विभाजित कर दी जाती है।

यदि केन्द्रीय बैंक की पूंजी में सरकार और निजी अंशधारियों,दोनों ही ने अभिदान किया है तो सरकार का लाभ पर दोहरा अधिकार होगा, केन्द्रीय बैंक की पूंजी में सरकार ने जा अंश ले रखे है, उन अंशों के आधार लाभांश प्राप्त करना, और सरकार ने केन्द्रीय बैंक को जो अधिकार दे रखे है, उसके प्रतिफल स्वरूप लाभांश प्राप्त करना।

साधारणतः केन्द्रीय बैंक के लाभ में सरकार द्वारा भाग लेना न्यायोचित है क्योंकि सरकार केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार देती है जोकि लाभ का एक प्रमुख स्त्रोत होता है। द्वितीय , केन्द्रीय बैंक को बहुत अधिक लाभ कमाने का प्रोत्साहन न मिले।

केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार को लाभ में से भाग देने की **दो प्रमुख प्रणालियां** है। **प्रथम प्रणाली** के अनुसार शुद्व लाभ में से एक निश्चित संचयी दर से लाभांश सर्वप्रथम सरकार को दिया जाता है और उसके पश्चात् शेष लाभ रिजर्व कोष, अंशधारियों और पुनः सरकार में वितरित कर दिया जाता है। यह प्रणाली फैडरल रिजर्व बैंक्स संयुक्तराज्य अमेरिका, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम और साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक ने अपना रखी है। **द्वितीय प्रणाली** के अनुसार लाभ का एक निश्चित अनुपात सर्वप्रथम रिजर्व कोष में हस्तान्तरित कर दिया जाता है, इसके पश्चात् एक्ट में निर्धारित न्यूनतम लाभांश का प्रतिफल अंशधारियों व केन्द्रीय बैंक में पुनः वितरित कर दिया जाता है। यह प्रणाली पुर्तगाल, स्विट्जरलैण्ड, मैक्सिको, चिली, कोलम्बिया आदि देशों में अपनाई जाती है।

केन्द्रीय बैंक का प्रबंध एवं सरकार

प्रत्येक केन्द्रीय बैंक का प्रबंध 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' अथवा इस बोर्ड के समकक्ष किसी अन्य नाम से पुकारे जाने वाले संगठन द्वारा किया जाता है। जैसे मैक्सिको में इसे काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनः; डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैण्ड में इसे जनरल काउंसिल, इटली में इसे सुपीरियर काउंसिल; बेल्जियम में इसे काउंसिल ऑफ रीजैन्ट्स, नार्वे में इसे सुपरवाइजरी काउंसिल, लेटिन अमेरिकन देशों में इसे मौनेटरी बोर्ड कहते है। भारत में इसे सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंग्लैण्ड में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान में इसे सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जापान में इसे पालिसी बोर्ड कहते है।

जहां केन्द्रीय बैंकिंग का स्वामित्व सरकार के पास है वहां तो इस बैंक के समस्त संचालकों की नियुक्ति सरकार ही करती है। इस व्यवस्था में कोई मतभेद नहीं है। किन्तु इनकी नियुक्ति के लिए कौन अधिकृत हो, यह विवादास्पद है। इनकी नियुक्ति का अधिकार देश के प्रधानमंत्री अथवा वित्तमन्त्री, अथवा संसद अथवा अन्य किसी अधिकारी को हो, यह विवादास्पद हो सकता है। इंग्लैण्ड,ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैण्ड और लेटिन–अमेरिकन देशों में देश के सर्वोच्च अधिकारी (बादशाह, राष्ट्रपति अथवा गवर्नर–जनरल) द्वारा ये नियुक्ति किए जाते है। कनाडा में मन्त्रिमण्डल द्वारा और आयरलैण्ड में वित्तमन्त्री द्वारा नियुक्ति की जाती है और इस नियुक्ति का अनुमोदन मन्त्रि मण्डल द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं होती। नार्वे में चेयरमैन ही नियुक्ति तो बादशाह करता है लेकिन संचालाकों की नियुक्ति लैजिस्लेचर द्वारा की जाती है।

जिन देशों के केन्द्रीय बैंक की पूंजी में सरकार का कुछ योगदान होता है, अथवा चाहे पूंजी में अंशदान न करे फिर भी सरकार केन्द्रीय बैंक के गवर्नर एवं डिप्टी–गवर्नरों, अथवा प्रेसीडेन्ट व वाइस प्रेसीडेन्ट तथा कुछ संचालकों की नियुक्ति का अधिकार सरकार रखती है। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ पाकिस्तान के केन्द्रीय संचालन मण्डल में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और नौ संचालकों में से छः संचालतकों की नियुक्ति पाकिस्तान का राष्ट्रपति करता है। स्विट्जरलैण्ड में 40 संचालको में से 25 सचांलक, बेल्जियम में 15 संचालको में से 5, पेरू में 11 संचालको में से 4, मैक्सिको और बैनेजुएला में 9 सचांलाके में से 5, चिली में 10 संचालको में से 3, कोलम्बिया में 9 सचालंको में से 3, पुर्तगाल में 13 संचालंको में से 3, साउथ अफ्रीका में 11 संचालको में से 5 संचालकें की नियुक्ति सरकार करती है।

अनेक देशों में केन्द्रीय बैंक के संचालक मण्डल में ट्रेजरी अथवा वित्त मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व रखा जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के केन्द्रीय बैंक में सैकेटरी ऑफ ट्रेजरी, बैंक के संचालक मण्डल में सम्मिलित है और उसे मत देने का अधिकार भी है। न्युजीलैण्ड में भी सैकेटरी ऑफ ट्रेजरी, केन्द्रीय बैंक के संचालक मण्डल में है किन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। कनाडा में डिप्टी वित्तमंत्री संचालक मण्डल में है, किन्तु उसे वोट देने को अधिकार नहीं है। अर्जेन्टाइना के केन्द्रीय बैंक के संचालक मण्डल में वित्तमंत्री और ट्रेजरी का अण्डर–सैकेटरी क्रमशः प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट है। लेटिन अमेरिका के अनेक देशों के केन्द्रीय बैंकों में और श्रीलंका, फिलीपाइन्स व इण्डोनेशिया के केन्द्रीय बैंकों में वित्त मंत्री अथवा ट्रेजरी का सचिव या तो संचालक मण्डल का चेयरमैन है अथवा सदस्य है।

प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बंध में केन्द्रीय बैंक और सरकार के सम्बन्ध क्या हों इस विषय में प्रमुख नीतियां इस प्रकार होनी चाहिए –प्रथम, केन्द्रीय बैंक के सचांलक मण्डल में वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित कम से कम एक उच्च स्तरीय व्यक्ति होना चाहिए; द्वितीय, उधोग,कृषि सहकारिता, मुद्रा एवं बैकिंग आदि से सम्बन्धित विशेषज्ञ उचित संख्या में संचालक मण्डल में मनोनीत होने चाहिए; तृतीय, संचालक मण्डल को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बैंक की नीतियों के निर्धारण तक ही सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए।

केन्द्रीय बैंक की क्रियाएं एवं सरकार का नियन्त्रण

यद्यपि केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार का केन्द्रीय बैंकों की नीतियों एवं क्रियाओं पर अधिक प्रभाव पड़ा है। किन्तु यह तत्व भिन्न–भिन्न देशों में वहां की घरेलू राजनीतिक दशाओं और सांविधानिक एवं आर्थिक विकास की दशाओं से अधिक प्रभावित हुआ है।

कुछ देशों में तो केन्द्रीय बैंक और सरकार के उन सम्बन्धों को, जो इसके राष्ट्रीयकरण के पूर्व संतोषजनक ढंग से स्थापित हो चुके थे, केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण को केवल वैधानिक रूप ही देना था। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के राष्ट्रीयकरण के एक्ट में दिया हुआ है,''बैंक के गवर्नर के परामर्श के पश्चात् ट्रेजरी समय समय पर बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को ऐसे निर्देश दे सकती है जो जनहित में हो।'' इसी प्रकार जब सन् 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सम्बन्धित एक्ट में भी लगभग इसी प्रकार का प्रावधान जोड़ा गया। नीदरलैण्ड में 'सरकार की मौद्रिक एवं वित्तीय नीति को केन्द्रीय बैंक की नीति से सामजंस्य के लिए वित्त मंत्री बैंक को निर्देश दे सकता है, किन्तु केन्द्रीय बैंक को स्पष्ट रूप से अधिकृत कर दिया है कि यदि वह इन निर्देशों से असन्तुष्ट है तो वह क्राउन को अपील कर सकता है।

सन् 1945 के जब कॉमनवैल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रलिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके बैंक के प्रबन्ध के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया था तो स्पष्ट कर दिया गया था कि यह गवर्नर ट्रेजरी के प्रति उत्तरदायी होगा; तथा बैंक ट्रेजरी को समय समय पर अपनी मौद्रिक व बैकिंग नीति को सूचित करता रहेगा। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि ट्रेजरार और बैंक में किन्ही बातों में असहमति उत्पन्न हो जावे तो ट्रेजरी, बैंक को इसकी सूचना दे देगी और उन कार्यो के लिए सरकार उत्तरदायी होगी।

साम्यवादी देशों, जैसे सोवियत रूस में सरकार ही औपचारिक रूप से मौद्रिक एवं बैंकिग नीतियों के सम्बन्ध में निर्देश देती है और केन्द्रीय बैंक को उन नीतियों का पालन करने के लिए एक साधन बना रखा है । इसी प्रकार अर्जेन्टाइना में केन्द्रीय बैंक को वित्त मन्त्रालय से सम्बन्द्व एक सहायक संस्था का रूप दे रखा है। लेटिन अमेरिकन देशों में यधपि केन्द्रीय बैंकों का पृथक् अस्तित्व है, किन्तु इन्हें अपनी मौद्रिक नीति को पहले वित्त मन्त्री को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैण्ड का राष्ट्रीयकरण सन् 1936 में किया गया और एक्ट में प्रावधान किया गया,''रिजर्व बैंक का यह एक सामान्य कार्य होगा कि वित्त मन्त्री द्वारा समय समय पर प्रेषित सरकार की मौद्रिक नीति को प्रभावशील बनावे।''

निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विश्व में केन्द्रीय बैंकों को सरकारी स्वामित्व करने की अथवा पहले से ही स्थापित केन्द्रीय बैंकों को सरकारी स्वामित्व मे लेने की दृढ़ विचारधारा स्थापित हो चुकी है। साथ ही, ऐसे केन्द्रीय बैंकों को जो निजी क्षेत्र में है उन्हें भी सरकारी नियन्त्रण आवश्यक है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि केन्द्रीय बैंक और सरकार में वास्तविक सम्बन्ध क्या होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक और सरकार के सम्बन्ध में **दो विचारधाराएँ** है। **प्रथम विचारधारा** के अनुसार जिस प्रकार किसी देश की सरकार के विभिन्न विभाग है, उसी प्रकार केन्द्रीय बैंक की भी व्यवस्था हो सकती है। किन्तु यह व्यवस्था उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली किसी से छिपी हुई नहीं है। इस व्यवस्था से अनावश्यक औपचारिकताएँ बढ़ जाएगी। किसी भी निर्णय को लेने में लालफीताशाही व नौकरशाही के कारण अनावश्यक विलम्ब होगा।

केन्द्रीय बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा और कर्मचारियों के अनावश्यक स्थानान्तरण होंगे। इन सब का प्रभाव केन्द्रीय बैंक की कार्य क्षमता पर पड़ेगा और इस व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने की पूरी सम्भावना बनी रहेगी।

द्वित्तीय विचारधारा के अनुसार केन्द्रीय बैंक पर सरकार का सामान्य नियंत्रण होना चाहिए, किन्तु इसकी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए।आजकल प्रायः अधिकांश देशों में इस व्यवस्था को ही अपनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, बैंक ऑफ फ्रांस आदि विभिन्न देशों में इसी विचारधारा पर केन्द्रीय बैंकिंग की व्यवस्था आधारित है। वैसे तो केन्द्रीय बैंकों पर साधारणगतः स्वामित्व एवं नियन्त्रण सरकार का रहता है, किन्तु इसकी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से की जाती है। इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार केन्द्रीय बैंक को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु केन्द्रीय बैंक का कार्य क्षेत्र तथा कार्य स्वतंन्त्रता कानूनी सीमाओं द्वारा नियन्त्रित कर दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि केन्द्रीय बैंक की मूल नीतियों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा उनके क्रियान्वयन में केन्द्रीय बैंक को पुरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

⇒ अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग–2010, टी.एन. माथुर, विश्वभारती प्रकाशन।

⇒ Blackie's Dictionary of Banking & Finance, S.Chand Publication.

⇒ International Banking-2018, Indian Institute of Banking & Finance, Macmilan Publishers.

❑❑❑